राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, दूरभाष नम्बर :-0141-5196356, 334 FAX-01415196304

एफ13(1) निमअ/SHG/संभाग मेले/15-16/ 27400 जयपुर, दिनांक 12/8/15

परिपत्र

महिला स्वंय सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी कार्य कर रहे है। 'अमृता सोसाइटी' ऐसे समूहों को अपने उत्पादों के विपणन प्रदर्शन एवं पहचान स्थापित कराने के लिए **'अमृता हाट'** का आयोजन कर प्रभावी मंच प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष से 'अमृता हाट' का आयोजन संभाग मुख्यालयों पर भी कराये जाने का निर्णय लिया है। 'अमृता हाट' की सम्भावित तिथियां निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	संभाग का नाम	दिनांक
1	जोधपुर	18 से 22 सितम्बर 2015
2	भरतपुर	22 से 26 सितम्बर 2015
3	उदयपुर	30 अक्टू. से 3 नव. 2015
4	बीकानेर	18 से 22 दिसम्बर 2015
5	कोटा	4 से 8 दिसम्बर 2015
6	अजमेर	26 जनवरी से 3 फरवरी 2015

संभाग स्तर पर 'अमृता हाट' का आयोजन विभाग द्वारा पहली बार किया जा रहा है। अमृता सोसाइटी से पंजीबद्ध महिला स्वंय सहायता समूहों को इन हाटों में दुकान व आवास सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे आयोजन को सफल एवं लाभकारी बनाये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :-

1. हाट आयोजन की पूर्व तैयारी, सक्रिय समूहों की अधिकाधिक भागीदारी, अन्तर विभागीय समन्वय स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेने, व्यापक प्रचार-प्रसार करने एंव सफल आयोजन सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में 'संभागीय अमृता हाट आयोजन समिति' गठित की जा रही है। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
2. हाट-आयोजन के लिए शहर में मेले, प्रदर्शनी आदि के लिए परम्परागत रूप से चिन्हित स्थान को ही उपयोग में लिया जावे। स्थानीय नगर निकाय या अन्य संस्था से ऐसा स्थान यथासम्भव निःशुल्क लिये जावे। इसके लिए सम्बन्धित संस्था को सह-आयोजक भी बनाया जा सकता है।
3. हाट में भाग लेने वाली महिलाओं के आवास आदि के लिए सामुदायिक भवन, धर्मशाला, अतिथि गृह आदि का अग्रिम तौर पर चिन्हीकरण कर आरक्षण कराया जावे। आवास व्यवस्था रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावें।
4. हाट-आयोजन हेतु टैण्ट, बिजली, पेयजल, लाऊडस्पीकर आदि का समुचित प्रबन्ध किया जावे। आयोजन समिति उक्त व्यवस्थाएं किये जाने के लिए उत्तरदायी होगी एवं निविदा आदि के लिए अधिकृत होगी।

5. हाट में कम से कम 50 स्टॉल आवश्यक रूप से लगाई जावे। हाट में अल्पाहार व मनोरंजन आदि के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान का किराया लिया जावे एवं राशि अमृता सोसायटी के खाते में जमा कराई जावे।
6. हाट आयोजन–न्यूनतम 5 दिवस का होगा। हाट आयोजन स्थल पर प्रतिदिन अपरान्ह पश्चात् महिला सशक्तिकरण के विभिन्न बिन्दुओं पर संगोष्ठी/कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, व्याख्यान आदि स्थानीय विषय विशेषज्ञों, लोक–कलाकारों एवं अधिकारियों आदि के माध्यम से आयोजित कराये जावें। सफल महिला उद्यमियों को ऐसे कार्यक्रमों में विशेष तौर पर बुलाया जावे। मेले के दौरान स्थानीय/सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं यथा बैंक एवं उद्योग विभाग से समन्वय कर प्रतिभागियों को पैकेजिंग, मार्केटिंग व उद्यमिता विकास एवं सेल्समैनशिप के सत्र आयोजित करावें।
7. हाट आयोजन के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, मेयर व अन्य जन प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जावें।
8. हाट में सम्मिलित होने वाले समूहों की अग्रिम तौर पर पहचान बाल विकास परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी व उप निदेशक द्वारा की जावे। ऐसे समूहों को प्राथमिकता दी जावे, जो निरन्तर उत्पादन कर रहे है। ऐसे समूहों का पूर्ण डाटाबेस (उनके सदस्यों के विवरण, दूरभाष नम्बर, उत्पाद विवरण व उत्पादन क्षमता आदि) तैयार किया जावे। चिन्हित उत्पादों के फोटोग्राफ कीमत अंकित करते हुए Catalogue में लगाये जावें।
9. अमृता हाट की तिथियों व विक्रय के लिए उपलब्ध उत्पादों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें इसके लिए स्थानीय निकाय की विज्ञापन साइट्स यथा होर्डिंग, गैन्ट्री यूनिपोल का उपयोग करने के साथ–साथ स्थानीय पत्र–पत्रिकाओं में सूचना प्रकाशित कराई जावे। अमृता हाट के सम्बन्ध में सम्भागवार पृथक–पृथक ब्रोशर तैयार कर विभिन्न ट्रेवलिंग एजेन्सियों, RTDC, होटलों, IRCTC भारत सरकार के पर्यटन सूचना केन्द्रों एवं अन्य राज्यों के प्रचार विभाग आदि को भिजवाया जावे।
10. अमृता हाट में विक्रय हेतु आने वाले उत्पादों में से उत्कृष्ट उत्पादों को चिन्हित किया जावे एवं उस उत्पाद के क्षेत्र में व्यवसायरत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के विशेषज्ञों को 'हाट' में आमन्त्रित किया जावें। ताकि ऐसी इकाईयों के साथ स्थायी विपणन अनुबन्ध हो सके। इसी प्रकार स्थानीय शापिंग मौल्स, मेगा–मार्ट, थोक व्यापारी आदि के साथ भी विपणन अनुबन्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावे।
11. संभाग स्तर पर 'हाट आयोजन' के लिए स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले कार्यो बाबत "चैक लिस्ट" तैयार की गई है। संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। हाट आयोजन के पश्चात् सम्पूर्ण विवरण अंकित करते हुए "आयोजन प्रतिवेदन तैयार किया जावे एवं अधिकतम 15 दिवस में महिला अधिकारिता, निदेशालय को भेजा जावे।
12. कार्यकम अधिकारी, संभाग मुख्यालय उक्त मेले के प्रभारी अधिकारी होंगे।
13. निदेशालय स्तर पर सम्पर्क अधिकारी अति0 निदेशक(SHG) मो0न0 9414070098

अति. मुख्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता

जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर, दूरभाष नम्बर :–0141–5196356, 334 FAX-01415196304

चैक लिस्ट

1. प्रत्येक सम्भाग स्तर पर निम्नानुसार तिथियों में कम से कम 15 दिवस पूर्व समस्त जिलों से SHG के नाम प्राप्त करने की तिथि.–

क्र. सं.	संभाग का नाम	मेला आयोजन का दिनांक	नामांकन प्राप्त करने की तिथि
1	जोधपुर	18 से 22 सितम्बर 2015	03 सितम्बर 2015
2	भरतपुर	22 से 26 सितम्बर 2015	06 सितम्बर 2015
3	उदयपुर	30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2015	15 अक्टूबर 2015
4	बीकानेर	18 से 22 दिसम्बर 2015	03 दिसम्बर 2015
5	कोटा	4 से 8 दिसम्बर 2015	19 नवम्बर 2015
6	अजमेर	26 जनवरी से 3 फरवरी 2015	11 जनवरी 2016

2. संभाग स्तरीय हाट में प्रत्येक जिले से कम से कम 2 स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
3. संभाग स्तरीय हाट में निम्नानुसार मेला स्थान बुकिंग (निःशुल्क), टैन्ट, साउण्ड, लाईट, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आवास व्यवस्था को अंतिम रूप देना साथ ही टैन्ट व्यवस्थापक से अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

क्र. सं.	संभाग का नाम	मेला आयोजन का दिनांक	तिथि
1	जोधपुर	18 से 22 सितम्बर 2015	18 अगस्त 2015
2	भरतपुर	22 से 26 सितम्बर 2015	22 अगस्त 2015
3	उदयपुर	30 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2015	1 अक्टूबर 2015
4	बीकानेर	18 से 22 दिसम्बर 2015	18 नवम्बर 2015
5	कोटा	4 से 8 दिसम्बर 2015	4 नवम्बर 2015
6	अजमेर	26 जनवरी से 3 फरवरी 2015	26 दिसम्बर 2015

4. हाट में चल शौचालय, निःशुल्क होर्डिंग, पार्किंग व्यवस्था हेतु मेले से 20 दिवस पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना।
5. मेले के दौरान चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं स्टॉल इंश्योरेंस की व्यवस्था एक सप्ताह पूर्व किया जाना सुनिश्चित करना।
6. प्रचार–प्रसार मेला प्रारंभ से एक सप्ताह पूर्व एवं मेले के दौरान मेले का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
7. मेले में भाग लेने वाले स्वयं सहायता समूहों को मेला स्थल एवं आवासीय व्यवस्था हेतु 10 दिवस पूर्व सूचित करना।
8. आवास स्थल पर विभाग की ओर से महिला कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
9. मेला व्यवस्था हेतु 15 दिवस पूर्व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विभाजन का कार्यादेश जारी करना।
10. मेला उद्घाटन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करना।
11. मेले से 3 दिवस पूर्व स्थानीय मीडिया कर्मियों की ब्रीफिंग सुनिश्चित कराना।
12. मेले के दौरान प्रति दिवस की प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।

क्रमांक–प13( )/नि.म.अ./एस.एच.जी./संभाग मेले/2015–16/27401-519 जयपुर दिनांक 12·8·15

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, संभागीय आयुक्त, समस्त।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, संभागीय जिला।
6. पुलिस अधीक्षक, संभागीय जिला।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. महाप्रबंधक उद्योग, संभागीय जिला।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संभागीय जिला।
10. कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/जिला परिषद संभागीय जिला।
11. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त
12. कार्यक्रम अधिकारी, आरएसएलडीसी संभागीय जिला।
13. जनसम्पर्क अधिकारी, संभागीय जिला।
14. जिला रसद अधिकारी, संभागीय जिला।
15. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, संभागीय जिला।
16. ACP( ) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)
महिला अधिकारिता